न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे
अपील संख्या : 06/2020

उगम कंवर पत्नी शैतानसिंह पुत्र श्री हरनाथसिंह, अर्जुनसिंह, पप्पूसिंह, किशोरसिंह, रतन कंवर, श्रवणसिंह पि0 शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी गांव भीचरी, तहसील रतनगढ, जिला चुरू — अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार — वकील अपीलान्ट
2. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :— 12—06—2024

यह अपील अपीलान्टगण उगम कंवर पत्नी शैतानसिंह पुत्र श्री हरनाथसिंह, अर्जुनसिंह, पप्पूसिंह, किशोरसिंह, रतन कंवर, श्रवणसिंह पि0 शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी गांव भीचरी, तहसील रतनगढ, जिला चुरू के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—01—1985 के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण के पति व पिता को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया व न ही नोटिस की विधिवत तामील करवाई। सारी कार्रवाई एकपक्षीय पारित की गयी है जो आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण के पति व पिता भूतपूर्व सैनिक के तहत विधिवत वर्ष 1983—84 में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा आवंटन नियम 12(ए) की सभी शर्तों की पूर्ति करता था। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना कोई स्पष्ट कारण बताये जो आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया है वो आदेश निरस्त योग्य है व राजस्थान के सदभावी मूल निवासी थे व सर्विस रिकार्ड अनुसार राजस्थान के निवासी थे, भूमिहीन व्यक्ति थे। इस तथ्य को बिना गौर किये जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण के पति व पिता दिनांक 07—09—2006 को लम्बी बीमारी के कारण फौत हो गये है जिस कारण जायज वारिसान की हैसियत से उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 05—11—2015 को आवंटन अधिकारी के यहां उपस्थित होने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश करने पर नकल दिनांक 18—11—2015 को जारी होने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आवंटन पत्रावली दिनांक 28—1—1985 को खारिज करके वीडिंग कर दी गयी है इसलिए मूल आवंटन पत्रावली की नकल नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट ज्ञात होने पर पता चला इससे पूर्व

किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। अतः आदेश दिनांक 28–1–1985 को निरस्त किया जाकर जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर नई आवंटन पत्रावली बनवाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कहा कि अपीलान्टगण के पति व पिता ने भूमि आवंटन हेतु दरख्वास्त लगाई थी अपीलान्टगण के पति व पिता को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया व न ही नोटिस की विधिवत तामील करवाई। सारी कार्रवाई एकपक्षीय पारित की गयी है जो आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण के पति व पिता भूतपूर्व सैनिक के तहत विधिवत वर्ष 1983–84 में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा आवंटन नियम 12(ए) की सभी शर्तों की पूर्ति करता था। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना कोई स्पष्ट कारण बताये जो आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया है वो आदेश निरस्त योग्य है। अतः आदेश दिनांक 28–1–1985 को निरस्त कर जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर नई आवंटन पत्रावली बनवाने के आदेश फरमावे। अभिभाषक ने ज्यूडिशियल रिकॉर्ड को रखने की अवधि 12 वर्ष की है के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 16.06.1993 ध्यानसिंह बनाम सरकार की प्रति अपील के साथ पेश की है और निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल के निर्णय के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमावे।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि अपीलान्ट की मूल पत्रावली संख्या आर–83 निर्णय दिनांक 28–01–1985 की पत्रावली उपनिवेशन अभिलेखागार बीकानेर में आवंटन अधिकारी द्वारा जमा करवाई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा उपनिवेशन अभिलेखागार में पत्रावलियां जमा करवाने से पहले आवंटन संबंधित सम्पूर्ण कार्रवाई कर जमा करवाई जाती है। आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली को खारिज करने से पूर्व पूरी प्रक्रिया अपनाते है यथा नोटिस या पत्रावलियों की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा करते है। विभागीय विडींग कमेटी के द्वारा पैड संख्या 96 क्रम संख्या 200 के अनुसार निरसन (वीडिंग) कर दी गयी है। मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्टगण द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्टगण के वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्टगण द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्टगण के वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये है। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने के 30 वर्ष पश्चात अपील पेश की गई है। आवंटन नियम 1975 के नियम 23(1) में अपील पेश करने की अवधि आदेश पारित किए जाने के 30 दिवस नियत है। प्रस्तुत अपील 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत होने से स्पष्ट मियाद बाहर है। इतनी लम्बी अवधि के बाद अपील प्रस्तुत किए जाने के कोई ठोस कारण भी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किए गए है।

अपीलांटगण स्वयं अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहे है। वर्ष 1985 में प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी 30 वर्ष पश्चात लेना ही आवेदक की उदासीनता को जाहिर करता है। अपीलांट की मूल पत्रावली दिनांक 20.12.2007

बिल्डिंग कमेटी द्वारा निरसन की गई है अतः अपीलांट अभिभाषक ने जो ज्यूडिशियल रिकॉर्ड रखने की जो रूलिंग पेश की है वह इस पर चस्पा नहीं होती।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12–06–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर